न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–3, इलाहाबाद

राष्ट्रीय लोक अदालत
दि0:13.08.2022

पत्रावली पेश हुई।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 321 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उनको प्रस्तुत मुकदमे को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये। सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है कि उ0प्र0 शासन के द्वारा कोविड–19 प्रोटोकाल लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के दौरान जो जनसामान्य नागरिकों के विरूद्ध मुकदमे महामारी अधिनियम व अन्य दो वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय अपराध दर्ज किये गये हैं। उनको वापस लिया जाना है। इस संबंध में राज्य सरकार उ0प्र0 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश के अनुपालन में शासनादेश भी जारी किया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा उपरोक्त वाद को वापस लेने की अनुमति चाही गयी है।

सुना तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 321 दं0प्र0सं0 में वर्णित आधारों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से विदित है कि जनहित में राज्य उ0प्र0 के द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन से संबंधित मुकदमों को वापस लिया जा रहा है, जो सामान्य रूप से नीतिगत निर्णय है, जिससे जनमानस का लाभ होगा। अभियोजन वापसी जनहित में की जा रही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

न्यायालय सहायक अभियोजन अधिकारी को वाद वापसी की अनुमति प्रदान करता है। अभियोजन वापस किया जाता है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है। प्रार्थना पत्र तद्नुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष संख्या–3,इलाहाबाद।